



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 31, मंगलवार, शाके 1939—अगस्त 22, 2017
Sravana 31, Tuesday, Saka 1939—August 22, 2017

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
कार्यालय आदेश
जयपुर, अगस्त 22, 2017

संख्या एफ-7(76)संस्था-पी.एल.ए.गठन/रालसा/2017/415 :—राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग के आदेश संख्या प.8(7) विधि-2/विरस (39)/2002/570 दिनांक 21.08.2017 द्वारा मनोनयन (Nomination) होने के फलस्वरूप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22ख के अन्तर्गत पाली जिला न्याय क्षेत्र की स्थायी लोक अदालत के सदस्यों के पद श्री रमेश चौधरी, अधिवक्ता एवं श्री बाबूलाल मेवाड़ा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्ययनीन एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इस आदेश द्वारा नियुक्त स्थायी लोक अदालत के सदस्य को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other terms and conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 तथा समय—समय पर सरकार द्वारा जारी आदेश व स्वीकृतियों के अनुरूप देय होगी।

श्री रमेश चौधरी, अधिवक्ता एवं श्री बाबूलाल मेवाड़ा, अधिवक्ता को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त समझी जावेगी।

आज्ञा से,
एस. के. जैन,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

uploaded on
website

28/8/17